

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज.)

क्रमांक :- रीडर/2025/12

दिनांक :- 20/2/25

-: कार्यालय आदेश :-

(रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 31.03.2025 तक)

मैं, ज्योति सिंह मीना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 एवं 13(2) (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 14 व 15(2)) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 31.03.2025 तक कॉलम संख्या 2 में अंकित अवकाश के दिन धौलपुर जिला की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों (जमानत, रिमाण्ड ड्यूटी धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्यों) से संबंधित मामलों की सुनवाई कॉलम संख्या 3 में अंकित पीठासीन अधिकारी जिनके न्यायालय के नाम कॉलम संख्या 4 में अंकित है करेंगे :-


क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम व मोबाईल नम्बर	पद
1.	02.03.2025	सुश्री सुमन मीणा मो. नं. 8288911596	न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर।
2	08.03.2025 व 09.03.2025	श्री भीमसिंह मीणा मो. नं.9784088926	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर।
3	13.03.2025 व 14.03.2025	श्री आकाश शर्मा मो. 7339772830	न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेडा
4	16.03.2025	श्रीमती चित्राक्षी सिंह मो. नं. 7597508581	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02, बाडी
5	22.03.2025 व 23.03.2025	सुश्री करुणा मो. नं. 9974079669	न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02, धौलपुर
6	30.03.2025व 31.03.2025	सुश्री प्रशंसा अग्रवाल मो.नं. 9460894331	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बसेडी

नोट:-

- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन पीठासीन अधिकारीगण उक्त कार्य हेतु समय 11.00 से 2.00 पी.एम. के लिये न्यायालय में आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे।
- उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि से पूर्व कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी।
- तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।
- किसी भी अवकाश के अविलम्ब पूर्व अथवा पश्चात् कार्य दिवस का किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने की स्थिति में पूर्व अवकाश के दिन जिस अधिकारी की रिमाण्ड आदि सभी कार्यों की ड्यूटी थी, घोषित अवकाश के दिन वही अधिकारी पूर्व आदेश की निरंतरता में रिमाण्ड आदि सभी कार्यों के लिये अधिकृत होगा।

सर्वर रूम

5. नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी ड्यूटी करने में असमर्थ है तो वे किसी अन्य न्यायिक अधिकारी से लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रेषित करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

क्रमांक: रीडर/2025/220

दिनांक 20-2-25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर।
2. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर।
3. श्रीमान् पीठासीन अधिकारीगण, समस्त न्यायालय धौलपुर न्यायक्षेत्र।
4. श्री भीमसिंह मीणा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर।
5. श्रीमती चित्रांक्षी सिंह, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02, बाडी।
6. सुश्री सुमन मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर।
7. सुश्री करुणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02 धौलपुर।
8. श्री आकाश शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेडा जिला धौलपुर।
9. सुश्री प्रशंसा अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट, बसेडी।
10. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर।
11. अधीक्षक, जिला कारागृह, धौलपुर।
12. इंचार्ज पुलिस कन्ट्रोल रूम, धौलपुर।
13. सर्वर रूम जिला न्यायालय धौलपुर को बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. आदेश पत्रावली।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)